

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधानसभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना
संख्या-18/3/498 के संबंध में।

भारत-नेपाल में वर्ष 1959 गंडक समझौते के तहत वाल्मीकिनगर में अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त 'सम्पर्क तथा भू-अर्जन कार्यालय' की स्थापना हुई थी। यह कार्यालय स्थापना काल से ही नेपाल सरकार के लेटर पैड, स्टाम्प एवं उनके अवकाश कैलेंडर के अनुसार संचालित होता आ रहा है। हाल ही में बिहार सरकार के आदेशानुसार कार्यालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई, जिसकी अनुमति नेपाल सरकार के जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग से प्राप्त पत्र पर नियमानुसार बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसके बावजूद कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर द्वारा विभाग से राय लिए बिना मनमाने ढंग से अप्रैल 2026 से यहाँ के कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने बच्चों की स्कूल फीस, परिजनों के इलाज और भरण पोषण का गंभीर संकट पैदा हो गया है। जल संसाधन विभाग, पटना को सूचित करने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अतः मैं सदन के माध्यम से बिहार सरकार का ध्यान इस अति-महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2233 दिनांक 22.05.2026 द्वारा सम्पर्क -सह- भू-अर्जन कार्यालय, वाल्मीकिनगर के कर्मियों का Biometric Device से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में नेपाल सरकार का साप्ताहिक अवकाश अथवा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित साप्ताहिक अवकाश की मान्यता पर विभागीय निदेश की अपेक्षा की गई। संबंधित कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर द्वारा उक्त निदेश की प्रत्याशा में तत्समय संबंधित कर्मियों का वेतन स्थगित रखा गया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 9630 दिनांक 01.06.2026 द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने तथा वेतनादि भुगतान के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में छः दिवसीय कार्य सप्ताह की प्रणाली लागू रहने तथा परिपत्र सं०-19930 दिनांक 12.12.2024 के प्रावधानानुसार संसूचित परामर्श "बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को सरकार के कार्यालय पद्धति के अनुरूप संचालन किया जाना नियमानुकूल होगा एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश ही अनुमान्य होंगे" के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश विभागीय पत्रांक 4006 दिनांक 09.09.2026 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को दी गई। उक्त के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सम्पर्क -सह- भू-अर्जन कार्यालय, वाल्मीकिनगर के कर्मचारियों का वेतन भुगतान की कार्रवाई नियमित रूप से की जा रही है।



कृ०पृ०उ०

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-07/प्र०-06(विधायी)-01/2026-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को ध्यानाकर्षण सूचना सं०- 18/3/498 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०-

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-06(विधायी)-01/2026-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०-

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-06(विधायी)-01/2026-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव(अभि०), जल संसाधन विभाग, बिहार, को सूचनार्थ एवं नेवा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०-

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-06(विधायी)-01/2026-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०-

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-06(विधायी)-01/2026-

4312

पटना/दिनांक- 25/09/2026

कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


25/9/26

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।